निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :– 0141–2612592, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : htpp://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः गृरमु/प्रशि./टी–1( ) 2020/8082-8131 दिनांक : 4.3.2020

:– गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति –:

राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम, 1963 की धारा–2 के अन्तर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है, जिसके अध्यधीन पारित नियमों के अन्तर्गत नियम–3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान गृह रक्षा के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों/उप केंद्रों एवम् सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कम्पनियों में स्वयं सेवकों के 2,500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिये योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन–पत्र (On line application form) आमन्त्रित किये जाते हैं। यह आवेदन–पत्र इस विज्ञप्ति के विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद दिनांक 07.04.2020 से भरे जाना शुरू होकर दिनांक 06.05.2020 तक भरे जा सकेंगे। नामांकन प्रकिया प्रारम्भ करने/प्रवेश–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना पृथक से समाचार पत्रों/ विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

नामांकन प्रकिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 06.05.2020 का इन्तजार किये बिना समय सीमा में ऑन लाईन आवेदन करें।

1. **आवेदन प्रकिया :**

(क) नामांकन हेतु आवेदन–पत्र On line application form लिये जायेंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है, तो वह sso.rajasthan. gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई–मित्र या कियोस्क पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑन लाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म (On line application form) निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

(I) स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट बैंकिग या डेबिट/केडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

(II) राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर : –

आवेदक को आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रूपये 30 + 18% GST सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होगा, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन–पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में भरे गये ई–मेल आई.डी. एवम् मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा हो गया है।

(ड) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन–पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवम् हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20 kb–50 kb) स्कैन हेतु ई–मित्र कियोस्क पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश–पत्र पर भी आवेदन–पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावेगी।

नोट :–

(1) ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑन लाईन आवेदन करने एवम् परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवे एवम् ऑन लाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भेजने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवम् पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑन लाईन भरे गये आवेदन–पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क की सूची वेबसाईट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) On line application form में समस्त वाँछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(4) नामांकन प्रकिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देश एवम् नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र में Preview को आवेदन Submit न माने।

(6) एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को नामांकन प्रकिया से वँचित किया जायेगा।

2. <u>परीक्षा शुल्क :</u>

(क)	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	200 रूपये
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ ई.डब्लू.एस./एम.बी.सी.वर्ग के आवेदक हेतु	175 रूपये

3. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश–पत्र :</u>

विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑन लाईन ही जारी किये जायेंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश–पत्र नही भेजा जायेगा। प्रवेश–पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट पर SSO ID से Log in के पश्चात Recruitment portal से प्राप्त/Download कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-mail ID) एवम् मोबाईल नम्बर पर भी भेजी जावेगी।

4. <u>नामांकन हेतु रिक्त पद :</u>

विभिन्न इकाईयों में कुल नामांकन किये जाने वाले स्वयंसेवकों की संख्या एवं वर्गवार पदों की गणना निम्नानुसार है:–

(२)

Scanned with CamScanner

	जिला इकाई/ उपकेन्द्र	उपकेन्द्र/ सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय का नाम	सामान्य वर्ग					अनु0 जाति					अनु0 जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					पुरुष	महिला	कुल योग	भूतपूर्व सैनिक
			महिला					महिला					महिला					महिला					महिला					महिला								
			विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग				
1	अलवर	(अ) भिवाडी	2	0	22	55	79	1	0	9	25	35	1	0	7	18	26	1	0	13	32	46	0	0	3	8	11	1	0	6	15	22	153	66	219	27
		(ब) नीमराना	1	0	7	18	26	0	0	4	8	12	0	0	3	6	9	0	0	4	11	15	0	0	1	3	4	0	0	2	5	7	51	22	73	9
2	बाड़मेर शहर	बाड़मेर शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	3
3	बो.हो.गा. बाड़मेर	(अ) रामसर कम्पनी	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	8	1
		(ब) शोभाला कम्पनी	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	6	3	9	1
		(स) बाखासर कम्पनी	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	8	1
4	बारां	(अ) बारां शहर	0	0	4	9	13	0	0	2	4	6	0	0	1	3	4	0	0	2	6	8	0	0	1	1	2	0	0	1	2	3	25	11	36	3
		(ब) किशनगज	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	8	1
		सहरिया जाति	0	0	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	
5	भरतपुर	(अ) भरतपुर शहर	0	0	5	13	18	0	0	2	6	8	0	0	2	4	6	0	0	3	8	11	0	0	1	1	2	0	0	2	3	5	35	15	50	6
		(ब) बयाना .	0	0	1	3	4	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	9	3	12	2
		(स) डीग	0	0	1	5	6	0	0	1	2	3	0	0	1	1	2	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	13	5	18	2
		(द) वैर–भुसावर	0	0	4	9	13	0	0	2	4	6	0	0	1	3	4	0	0	2	5	7	0	0	1	1	2	0	0	1	2	3	24	11	35	4
6	चितौड़गढ	(अ) चितौडगढ़ शहर	0	0	6	12	18	0	0	2	6	8	0	0	2	4	6	0	0	3	7	10	0	0	1	2	3	0	0	1	4	5	35	15	50	6
		(ब) रावतभाटा	0	0	4	11	15	0	0	2	4	6	0	0	1	4	5	0	0	3	6	9	0	0	1	1	2	0	0	1	3	4	29	12	41	5
7	दौसा	(अ) दौसा शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	3
		(ब) लालसोट	0	0	1	4	5	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	10	4	14	2
8	धौलपुर	(अ) धौलपुर शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	3
		(ब) बाडी	0	0	1	4	5	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	10	4	14	2
9	श्रीगंगानगर	(अ) श्रीगंगानगर शहर	0	0	5	11	16	0	0	2	5	7	0	0	2	4	6	0	0	3	7	10	0	0	1	1	2	0	0	1	4	5	32	14	46	6
		(ब) सूरतगढ़	0	0	2	2	4	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	8	4	12	1
10	बो.हो.गा.	(अ) कैरी कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1

Scanned with CamScanner

क्र.	जिला इकाई/ उपकेन्द्र	उपकेन्द्र/ सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय का नाम	सामान्य वर्ग					अनु0 जाति					अनु0 जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग								
			महिला					महिला					महिला					महिला					महिला					महिला								
			विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य.	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य.	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	पुरुष	महिला	कुल योग	भूतपूर्व सैनिक
	श्रीगंगानगर	(ब) कोनी कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1
		(स) मिर्जेवाला कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	7	1
		(द) गजसिंहपुर	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	8	1
		(य) रायसिंह नगर कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1
11	बो.हो.गा. बीकानेर	(अ) छतरगढ़ कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	1
		(ब) पूगल कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	7	1
		(स) दियातरा कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	1
		(द) अनूपगढ कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	1
12	जयपुर	(अ) जयपुर शहर	4	1	46	118	169	2	0	20	53	75	1	0	16	39	56	2	1	27	69	99	1	0	6	17	24	1	0	13	33	47	329	141	470	59
		(ब) फुलेरा	0	0	1	3	4	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	8	3	11	1
		(स) जाटावाली	0	0	1	4	5	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	10	4	14	2
13	जालोर	जालोर शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	2
14	जैसलमेर	जैसलमेर शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	2
15	बो.हो.गा. जैसलमेर	(अ) नाचना कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1
		(ब) मोहनगढ कम्पनी	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	8	1
		(स) रामगढ़ कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	1
		(द) म्याजलार कम्पनी	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	1

Scanned with CamScanner

क्र.	जिला इकाई / उपकेन्द्र	उपकेन्द्र / सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय का नाम	सामान्य वर्ग					अनु0 जाति					अनु0 जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग								
			महिला					महिला					महिला					महिला					महिला					महिला								
			विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	विछिन्न विवाह	सामान्य	पुरुष	योग	पुरुष	महिला	कुल योग	भूतपूर्व सैनिक
		(य) जयसिन्दर कम्पनी	0	0	1	3	4	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	10	1
16	झालावाड	झालावाड शहर	0	0	5	12	17	0	0	2	6	8	0	0	2	4	6	0	0	3	7	10	0	0	1	2	3	0	0	1	4	5	34	15	49	6
17	जोधपुर	जोधपुर शहर	1	0	17	37	55	1	0	6	18	25	0	0	5	13	18	1	0	9	22	32	0	0	2	6	8	0	0	4	11	15	107	46	153	19
18	करौली	करौली शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	2
19	कोटा	कोटा शहर	1	0	14	35	50	1	0	6	15	22	0	0	4	13	17	1	0	8	20	29	0	0	2	5	7	0	0	5	9	14	97	42	139	17
20	नागौर	नागौर शहर	0	0	6	15	21	0	0	3	6	9	0	0	1	6	7	0	0	4	8	12	0	0	1	2	3	0	0	2	4	6	41	17	58	7
21	पाली	पाली शहर	1	0	7	17	25	0	0	4	7	11	0	0	2	6	8	0	0	4	11	15	0	0	1	3	4	0	0	2	5	7	49	21	70	9
22	प्रतापगढ	प्रतापगढ शहर	0	0	3	7	10	0	0	3	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	20	2
23	राजसमंद	राजसमंद शहर	0	0	4	9	13	0	0	2	4	6	0	0	1	3	4	0	0	2	6	8	0	0	1	1	2	0	0	1	3	4	26	11	37	5
24	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	2
25	सिरोही	(अ)सिरोही शहर	0	0	2	5	7	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	14	6	20	2
		(ब) माउंट आबू	0	0	5	12	17	0	0	5	11	16	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	11	35	4
26	टोंक	(अ) टोंक शहर	0	0	5	15	20	0	0	3	6	9	0	0	2	5	7	0	0	4	8	12	0	0	1	2	3	0	0	2	4	6	40	17	57	7
		(ब) देवली	0	0	1	5	6	0	0	1	2	3	0	0	1	1	2	0	0	1	3	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	13	5	18	2
		(स) निवाई	0	0	5	12	17	0	0	2	6	8	0	0	2	4	6	0	0	3	7	10	0	0	1	1	2	0	0	1	3	4	33	14	47	6
		(द) मालपुरा	0	0	5	12	17	0	0	2	6	8	0	0	2	4	6	0	0	3	7	10	0	0	1	1	2	0	0	1	4	5	34	14	48	6
		(य) टोडारायसिंह	0	0	3	7	10	0	0	1	3	4	0	0	1	2	3	0	0	2	4	6	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	19	8	27	3
		(र) उनियारा	0	0	3	7	10	0	0	1	4	5	0	0	1	2	3	0	0	2	4	6	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	20	8	28	3
27	उदयपुर	उदयपुर शहर	3	1	30	79	113	1	0	14	35	50	1	0	10	27	38	2	0	18	46	66	0	0	5	11	16	1	0	8	22	31	220	94	314	39

नोट :– राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–13 (20)कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया में अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/एम.बी. सी. का आरक्षण देय नहीं है। ट्राईबल सब प्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग को अधिसूचना क्र. एफ–13 (20) कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 04.07.2016 मे वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केन्द्र एवं सीमा गृह रक्षा दल कि कम्पनियों में उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदो की संख्या में किसी भी समय अपडेट किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नही की जावेगी

Scanned with CamScanner

5. <u>नामांकन हेतु परीक्षा केंद्रः</u>

गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु परीक्षा केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	केंद्र / उप केंद्र / सीमा गृह रक्षा कम्पनी का नाम	परीक्षा केंद्र जहां पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी
1.	गृ.र.प्र. उप केंद्र भिवाड़ी गृ.र.प्र. उप केंद्र, नीमराणा	अलवर
	गृ.र.प्र. केंद्र, भरतपुर शहर गृ.र.प्र. उप केंद्र, बयाना गृ.र.प्र. उप केंद्र, डीग गृ.र.प्र. उप केंद्र, वैर–भुसावर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, धौलपुर शहर गृ.र.प्र. उप केंद्र, बाड़ी	
	गृ.र.प्र. केंद्र, करौली शहर	
2.	सीमा गृ.र.द. बाड़मेर, 'ए' कम्पनी, रामसर सीमा गृ.र.द. बाड़मेर,'डी' कम्पनी, शोभाला सीमा गृ.र.द. बाड़मेर, 'एफ' कम्पनी, बाखासर	बाड़मेर
	सीमा गृ.र.द. जैसलमेर,'ए' कम्पनी, नाचना सीमा गृ.र.द. जैसलमेर, 'बी' कम्पनी, मोहनगढ़ सीमा गृ.र.द. जैसलमेर, 'सी' कम्पनी, रामगढ़ सीमा गृ.र.द. जैसलमेर, 'डी' कम्पनी, म्याजलार सीमा गृ.र.द. जैसलमेर, 'एफ' कम्पनी, जयसिंदर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, बाड़मेर शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, जैसलमेर शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्रजालौर शहर	
3.	गृ.र.प्र. केंद्र, जयपुर शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, फुलेरा गृ.र.प्र. उपकेंद्र, जाटावाली	जयपुर
	गृ.र.प्र. केंद्र, दौसा शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, लालसोट	
	गृ.र.प्र. केंद्र टोंक शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, देवली गृ.र.प्र. उपकेंद्र, निवाई गृ.र.प्र. उपकेंद्र, मालपुरा गृ.र.प्र. उपकेंद्र, टोडारायसिंह गृ.र.प्र. उपकेंद्र, उनियारा	
4.	गृ.र.प्र. केंद्र, जोधपुर शहर	जोधपुर
	गृ.र.प्र. केंद्र, नागौर शहर	

Scanned with CamScanner

	गृ.र.प्र. केंद्र, पाली शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, सिरोही शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, माउंटआबू	
5.	गृ.र.प्र. केंद्र, कोटा शहर	कोटा
	गृ.र.प्र. केंद्र, बारां शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, किशनगंज	
	गृ.र.प्र. केंद्र, झालावाड़ शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, सवाई माधोपुर शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, उप केंद्र, रावतभाटा	
6.	गृ.र.प्र. केंद्र, उदयपुर शहर	उदयपुर
	गृ.र.प्र. केंद्र, चितौड़गढ़ शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, प्रतापगढ़ शहर	
	गृ.र.प्र. केंद्र, राजसमन्द शहर	
7.	सीमा गृ.र.द. श्रीगंगानगर, 'ए' कम्पनी, कैरी सीमा गृ.र.द. श्रीगंगानगर, 'बी' कम्पनी, कोनी सीमा गृ.र.द. श्रीगंगानगर, 'सी' कम्पनी, मिर्जेवाला सीमा गृ.र.द. श्रीगंगानगर, 'ई' कम्पनी, गजसिंहपुर सीमा गृ.र.द. श्रीगंगानगर, 'एफ' कम्पनी, रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
	गृ.र.प्र. केंद्र, श्रीगंगानगर शहर गृ.र.प्र. उपकेंद्र, सूरतगढ़	
	सीमा गृ.र.द. बीकानेर, 'ए' कम्पनी, छत्तरगढ़ सीमा गृ.र.द. बीकानेर, 'बी' कम्पनी, पूगल सीमा गृ.र.द. बीकानेर, 'डी' कम्पनी, दियातरा सीमा गृ.र.द. बीकानेर, 'एफ' कम्पनी, अनूपगढ	

नामांकन केंद्रों पर उनके नाम के सामने अंकितानुसार जिलों के अभ्यर्थियों का चयन पूर्व परीक्षण किया जावेगा, जिसके लिए निर्धारित प्रवेश–पत्र में भी दिनांक एवम् स्थान का उल्लेख होगा।

6. **आरक्षण :**

(क) गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन हेतु विभिन्न वर्गों को निम्नानुसार आरक्षण देय है :–

1.	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	21 प्रतिशत
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत
5.	एम.बी.सी.	05 प्रतिशत

(ख) **महिलाओं के लिए :**

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का

Scanned with CamScanner

आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.7 (2) डी.ओ.पी./ए–2/88/ पार्ट–I दिनांकः 22.12.2015 के अनुसार नामांकन में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 08 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 02 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवम् विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ.7 (2) डी.ओ.पी./क–2/96/पार्ट दिनांकः 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवम् विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./टी.एस.पी./एम.बी.सी./सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम् निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र (अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./सहरिया/टी.एस.पी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नही होगा।

(ग) <u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण</u> :–

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./सहरिया) का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जायेगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.5 (18) डी.ओ.पी./ए–II/84 पार्ट दिनांकः 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–06 नियम–6 (ख) के अनुसार कोई सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण–पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति का प्रमाण–प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 5 (18) डी.ओ.पी./क–2/84 पार्ट दिनांकः 22.08.2019 जो कि परिपत्र दिनांकः 16.08.2016 के अतिक्रमण में जारी

Scanned with CamScanner

किया गया है, में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में एक बार से अधिक लाभ देय होगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम–1988 के नियम 2 (5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्त्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की नामांकन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नही थी, भरी जायेंगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले नामांकन वर्ष तक अग्रणीत की जायेगी, तदुपरान्त ऐसी रिक्तियां अनारक्षित मानी जायेंगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–7 में अंकितानुसार) "अच्छा" होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवम् पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

स्पष्टीकरण : भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति एवम् सहरिया आदिम जाति के लिए :

I. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13 (20) कार्मिक/ क–2/91 पार्ट दिनांकः 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान ऐरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति हेतु 05 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् एम.बी.सी.वर्ग के लिए आरक्षण शून्य रहेगा।

II. ट्राईबल सब प्लान ऐरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान ऐरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण नामांकन हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका एवम् सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद उपरोक्त तालिका में अंकित हैं।

III. जिला बारां में गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन हेतु आरक्षण का लाभ देते हुए रिक्तियों की गणना कर तालिका में दर्शा दी गई है।

7. **मानदेय :**

गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। राज्य सरकार के अध्यादेश–1963 एवम् राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली–1962 के तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी

Scanned with CamScanner

उपक्रमों में स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाता है जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान मे 693/– रूपये प्रति दिवस होम गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवम् 590/– रूपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है।

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवम् 05 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

8. <u>नामांकन हेतु पात्रता/योग्यता/छूट/अयोग्यताः</u>

(I) अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

तथा

(II) आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र/उप केंद्र/सीमा गृह रक्षा कम्पनी की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन किया गया है उस नगर निगम क्षेत्र/नगर परिषद क्षेत्र/नगर पालिका क्षेत्र/सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय की तहसील/नगरपालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम 03 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार /राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/ मतदाता परिचय पत्र/पासपोर्ट /ड्राईविंग लाईसेन्स)

(III) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :**

– मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8th कक्षा उत्तीर्ण।

(IV) **आयु सीमा :**

– राजस्थान होम गार्ड्स नियम–1962 के नियम 9 के अनुसार आवेदक की आयु 01.04.2020 को 18 वर्ष से कम एवम् 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए अर्थात आवेदक/आवेदिका का जन्म 01.04.2002 के बाद तथा 02.04.1985 के पूर्व का ना हो।

(V) **शारीरिक मापदण्ड :**

– अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवम् वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा :--

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बारां जिले के सहरिया हेतु	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए–81 से.मी. फुलाने पर – 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए–74 से.मी. फुलाने पर – 79 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी उपरोक्त मापदण्डों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों तो लम्बाई एवं सीने के न्यूनतम माप में 5 से.मी. की छूट दी जा सकेगी, किन्तु 5 से.मी. सीना फुलाये जाने की अनिवार्यता रहेगी।

(VI) **चिकित्सकीय मापदण्ड :** चिकित्सकीय मापदण्ड निम्नानुसार होगे।

1. अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवम् सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (Knock-knee), नसें फूली हुई होना (Varicose veins), भैंगापन (Squint), रतौंधी (Night blindness), रंग दृष्टि दोष (Colour blindness), हकलाकर बोलना (Stammering), पैर समलत (Flat foot), हर्निया (Hernia), शल्य प्रॉबलम (Surgical problems), या अन्य कोई विकृति/अंग–भंग (Any other deformity) जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए।

(VII) **नामाकंन के लिए अयोग्यताएंः**

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नामांकन के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(2)

Scanned with CamScanner

स्पष्टीकरणः—राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ—7(1)डीओपी/ए—2/95/पार्ट—2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नामांकन के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण—पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जावेगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961 में है। (सैन्ट्रल एक्ट 1961 का 28)

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण <u>अन्वेषणाधीन/न्यायालय</u> में विचाराधीन (under trial) है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिएः—

(क) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ख) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(ग) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(घ) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(ड़) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलितता हो।

Scanned with CamScanner

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(छ) भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(ज) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अंतर्वलितता हो।

(झ) लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता।

(vi) यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने अथवा बदलने/छेड़छाड़ करने, अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का चयन प्रकिया के दौरान अथवा पश्चात् में दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रकिया से अलग कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी का नामांकन होने के पश्चात् भी यदि दोष प्रमाणित होता है तो उसका नामांकन रद्द कर उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

9. <u>नामांकण हेतु चयन प्रकियाः</u>–

I. पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्रों की जांच :

नामांकन प्रकिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो) एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगेः–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र।

(ii) सम्बन्धित जिले/नगर पालिका/तहसील का मूल निवास प्रमाण–पत्र।

(iii) सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका एवं सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय की तहसील/नगरपालिका क्षेत्र में गत 03 वर्षो से लगातार निवास करने का प्रमाण–पत्र।

(iv) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(v) विशेष योग्यता सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

(vi) सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

(vii) जाति प्रमाण–पत्रः– अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई.डब्ल्यू. एस. से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

Scanned with CamScanner

(viii) सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो।

(ix) महिलाः– विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

(x) भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति प्रमाण–पत्र।

(xi) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र।

(xii) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन–पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5 X 3.5 सेमी) रंगीन फोटो।

पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्रों की जांच की जायेगी।

II. प्रथम चरण : शारीरिक माप–तौल परीक्षण (Physical standard test/ PST)

नियमानुसार गठित नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का शारीरिक माप–तौल परीक्षण किया जावेगा। नामांकन बोर्ड (PST) में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके माप–तौल से अवगत करायेगा। शारीरिक माप–तौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि रूपये 500/– जमा करवाकर शारीरिक माप–तौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। चयन बोर्ड अध्यक्ष एवम् राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जायेगा। तत्पश्चात अयोग्य पाये जाने पर कोई अवसर देय नही होगा। चूंकि शारीरिक माप–तौल भविष्य में मापे जाने पर किसी अभ्यर्थी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं अतः स्पष्ट किया जाता है कि अपील के दौरान चयन बोर्ड व राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में लिये गये माप–तौल ही भविष्य में भी गणना योग्य होंगें। इस तिथि के बाद में किसी अन्य बोर्ड द्वारा लिये गये माप–तौल मान्य नहीं होंगे। शारीरिक माप–तौल परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के दूसरे चरण अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

III. द्वितीय चरण : शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test / PET)

शारीरिक माप–तौल में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवें। यदि वे भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं

Scanned with CamScanner

है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड/अंक निम्नानुसार होंगे :–

(क) दौड़ (पुरूष वर्ग) 1000 मीटर अधिकतम अंक 30

(I)	03 मिनट 40 सैकेण्ड तक	15 अंक
(II)	03 मिनट 20 सैकेण्ड तक	23 अंक
(III)	03 मिनट 10 सैकेण्ड तक	30 अंक

(ख) दौड़ (महिला वर्ग) 800 मीटर

(I)	04 मिनट 30 सैकेण्ड तक	15 अंक
(II)	03 मिनट 40 सैकेण्ड तक	23 अंक
(III)	03 मिनट 15 सैकेण्ड तक	30 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नही करने वाले अर्थात न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

IV. तृतीय चरणः–विशेष योग्यता **अधिकतम अंक– 20**

क्र.सं	विवरण	अधिकतम अंक
(i)	नेशनल कैडेट कोर (NCC) का "ए" प्रमाण–पत्र 04 अंक "बी" प्रमाण–पत्र 06 अंक "सी" प्रमाण–पत्र 08 अंक	08 अंक
(ii)	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु RKCL (Rajasthan knowledge Corporation Ltd.) द्वारा प्रदत RS-CIT(Rajasthan State Certificate Course in Info. Tech.) प्रमाण–पत्र अथवा राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), भूतपूर्व DOEACC Society द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अथवा NCVT(National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	03 अंक
(iii)	इलेक्ट्रीशियन/फिटर/पलम्बर/वैल्डिंग/मोटरगाड़ी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक, कारपेन्टर/पेन्टर/फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इन्डस्ट्रीयल सेफ्टी/फायर मैन का NCVT(National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत	02 अंक

२

Scanned with CamScanner

	डिप्लोमा प्रमाण–पत्र	
(iv)	खेलों में प्रतिभागी होने का मान्यता प्राप्त संस्था का उपयुक्त प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय स्तर 04 अंक राज्य स्तर 02 अंक	04 अंक
(v)	स्काउट प्रमाण–पत्र राष्ट्रपति पुरस्कार 05 अंक राज्य पुरस्कार 03 अंक तृतीय सोपान उत्तीर्ण 02 अंक	05 अंक
(vi)	हल्का / भारी मोटर वाहन चालक 01.04.2019 से पूर्व जारी ड्राईविंग लाईसेंस ही मान्य होगा। भारी मोटर वाहन चालक 03 अंक हल्का मोटर वाहन चालक 02 अंक	03 अंक

नोट :– विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी को विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणियों में अधिकतम अंक वाले प्रमाण–पत्र के अंक ही गणनीय होंगे।

V. नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना :

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे, जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक
शारीरिक दक्षता परीक्षा	30 अंक
विशेष योग्यता	20 अंक
योग	50 अंक

50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्थात् 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40 प्रतिशत अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

VI. चयन सूची :

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़, एवं विशेष योग्यता में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य

Scanned with CamScanner

सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन बोर्ड द्वारा मैरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांको के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रकार प्राप्तांक व आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता अंकों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। यदि तत्पश्चात् भी प्राप्तांक समान रहते हैं तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेंगे।

10. <u>स्वास्थ्य परीक्षण</u> :

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील : उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

11. <u>प्रमाण–पत्र एवम् चरित्र सत्यापन</u> :

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा, मूल निवास एवम् विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक हैं। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जावेगा।

12. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :

(I) जिला प्रशिक्षण केंद्र/उपकेंद्र/सीमा गृह रक्षा कम्पनी में जिस लिंग के पद रिक्त हैं, उन्हीं के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार होंगे।

(II) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाऐं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रकिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नामांकन हेतु पात्रता व आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नामांकन के बाद भी ज्ञात हुई तो डिस्चार्ज करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

(III) निरस्त किये गये आवेदन पत्रों का शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(IV) चयन प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(V) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(VI) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा अन्य घटना घटित होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(VII) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा।

(VIII) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम–1992 के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(IX) नामांकन प्रकिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश एवम् विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट htpp://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards पर उपलब्ध है।
नामांकन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(X) आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 0141–2612592 पर कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(XI) नामांकन प्रकिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व गृह रक्षा निदेशालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है। फिर भी, नामांकन हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त नामांकन में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों/परिपत्रों में संशोधन भी लागू होंगे।

4.3.20

(बी.एल.मीना IPS)
महानिरीक्षक, पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

6. निजी सहायक, महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सीनियर स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
12. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान।
13. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में करावें।

5.3.20

महानिरीक्षक, पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

Scanned with CamScanner